रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09042021-226455
SG-DL-E-09042021-226455

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2021/ चैत्र 17, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 09
No. 125]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2021/ CHAITRA 17, 1943	[N. C. T. D. No. 09

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन और वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

सं.फा.1(25)/डीसीएफ(मुख्यालय)/स्था0/आरआर–एससीडी/2019/340.–गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा वन और वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **''स्टाफ कार चालक–ग्रेड–I, स्टाफ कार चालक–गड–II और स्टाफ कार चालक–सामान्य ग्रेड, 'समूह 'ग' पद' (अराजपत्रित, अलिपिकीय) पदों हेतु** भर्ती नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .**— (i) इन नियमों को'' वन और वन्य जीव विभाग, **''स्टाफ कार चालक–ग्रेड–I, स्टाफ कार चालक–ग्रेड–II और स्टाफ कार चालक–सामान्य ग्रेड** भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण , पे बेण्ड तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं, इत्यादि.**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

भार्त यह है कि यदि सरकार संतुश्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव.**—इन नियमों में किसी उल्लेख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची– I

1.	**पदनाम**	:	**स्टाफ कार चालक ग्रेड–I**
2.	**पदों की संख्या**	:	03*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ग'' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–5, 29200–92300/–रुपये
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 में, 25,500–81,100/–रुपये में स्टाफ कार चालक II अथवा स्टाफ कार चालक ग्रेड–II तथा स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के रूप में पन्द्रह वर्ष की संयुक्त सेवा सहित तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	समूह ''ग'' पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति, 1. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –सदस्य 3. उप–सचिव (सेवाएं) –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

अनुसूची – II

1.	**पदनाम**	:	**स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)**
2.	**पदों की संख्या**	:	02*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समुह ''ग'' अराजपत्रित अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–4, 25500 – 81100/–रुपये
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्तर–2 (19900–63200/–रुपये) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) से पदोन्नति।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह ''ग'' पदोन्नति पर विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति,** 1. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष –सदस्य 3. उप–सचिव (सेवाएं) –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

अनुसूची – III

1.	**पदनाम**	:	**स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)**
2.	**पदों की संख्या**	:	02*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ''ग'' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–2, 19900–63200/–रुपये
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष *

			(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये चालीस वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट** :—(आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी न कि (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिले तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप राज्यों के लिये निर्णायक तिथि उनके लिये निर्धारित अंतिम तिथि के अनुसार होगी)। * यदि सीधी भर्ती 'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाती है तो आयु सीमा 18—27 वर्ष होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य** :— (i) मोटर कार हेतु वैद्य ड्राइविंग लाइसेंसधारी; (ii) मोटर मैकेनिजम का ज्ञान (अभ्यार्थी को वाहन में छोटी मोटी खराबी को दूर करने की योग्यता होनी चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण । **वांछनीयः** होम गार्ड/सिविल स्वयं सेवक (वालंटियर) के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **नोट—1**ः अनुभव संबंधी योग्यता सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **नोट—2**ः यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	सीधी भर्ती वालों के लिये दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः—** जिस कार्यालय में रिक्तियां हैं, हल्के मोटर वाहन का लाइसैंस रखने वाले वन और वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—1, (18000—56900/—रुपये) 'ग' कर्मचारियों में से बशर्ते कि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) — अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप—सचिव (सेवाएं) —सदस्य

13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्या0 एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 7th April, 2021

No. F. 1(25)/DCF(HQ)/Estt./RR-SCD/2019/340.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, read with the Notification No. 27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 of the Government of India, Ministry of Home Affairs, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the Recruitment Rules for the posts of Staff Car Driver – Grade-I, Staff Car Driver – Grade-II and Staff Car Driver – Ordinary Grade, Group 'C' posts (Non-Gazetted, Non-Ministerial) in the Department of Forests and Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short Title and commencement.—** (i) These Rules may be called The Department of Forests and Wildlife Staff Car Driver – Grade-I, Staff Car Driver – Grade-II and Staff Car Driver – Ordinary Grade, Recruitment Rules 2021.

   (ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.

2. **No. of Posts, Classification and Pay Level in the Matrix.—**The number of posts, its classification, pay band and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these Rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, and other Qualifications etc. .—**The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns number (5) to (13) of the said Schedule annexed to these Rules.

4. **Disqualification.—** No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this Rule.

5. **Power to relax.—**Where the Government of National Territory is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

(1)	Name of the Post	Staff Car Driver- Grade I
(2)	No. of Posts	03 * (2021) *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
(4)	Level in the Pay Matrix	Level-5 Rs. 29200-92300

(5)	Whether Selection or Non-Selection Post	Non-Selection
(6)	Age limit for direct recruitment	Not Applicable
(7)	Educational and other qualification for direct recruits	Not Applicable
(8)	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Not Applicable
(9)	Period of Probation	Not Applicable
(10)	Method of recruitment : By direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Promotion
(11)	In case of recruitment by Promotion/deputation/ absorption, grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made	**Promotion:** Staff Car Driver-II in the pay scale of Rs. 25500-81100 in Level-4 with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.
(12)	If a DPC exists, what is its composition	**Group 'C' DPC for considering promotion** 1. Pr. Secretary/ Secretary(Labour) – Chairperson 2. Head of the Department Concerned – Member 3. Dy. Secretary(Services) – Member
(13)	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments	Not applicable

SCHEDULE-II

(1)	Name of the Post	Staff Car Driver (Grade-II)
(2)	No. of Posts	02 * (2021) *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
(4)	Level in the Pay Matrix	Level-4 Rs. 25500-81100
(5)	Whether Selection or Non-Selection Post	Non-Selection
(6)	Age limit for direct recruitment	Not Applicable
(7)	Educational and other qualification for direct recruits	Not Applicable
(8)	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Not Applicable
(9)	Period of Probation	Not Applicable
(10)	Method of recruitment : By direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	By Promotion
(11)	In case of recruitment by Promotion/deputation/ absorption, grade from which promotion/deputation/ absorption to be made	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level-2 (Rs. 19900-63200/-) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.
(12)	If a DPC exists, what is its composition	**Group 'C' DPC for considering promotion** 1. Pr. Secretary/ Secretary(Labour) – Chairperson

		2. Head of the Department Concerned – Member 3. Dy. Secretary(Services) – Member
(13)	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments	Not Applicable

SCHEDULE-III

(1)	Name of the Post	Staff Car Driver (Ordinary Grade)
(2)	No. of Post	02 * (2021) *Subject to variation dependent on workload.
(3)	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
(4)	Level in the Pay Matrix	Level-2 Rs. 19900-63200
(5)	Whether Selection or Non-Selection Post	Not applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	18-25 years* (Relaxable for Government Servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). *If the direct recruitment is to be made by direct open competitive examination, the age limit would be 18-27 years.
(7)	Educational and other qualification for direct recruits	**Essential:** (i) Possession of a valid driving license for Motor Car; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) Pass in 10th standard. **Desirable:** Three years' service as Home Guard/ Civil Volunteers. **Note-1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority. **Note-2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not

		likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
(8)	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Not Applicable
(9)	Period of Probation	Two years for direct recruits.
(10)	Method of recruitment : By direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	Promotion failing which by direct recruitment.
(11)	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which Promotion/Deputation/ Absorption to be made	**Promotion:** From amongst the regular Group 'C' employees in Level-1 (Rs. 18000-56900 of Pay Matrix, in the Department of Forests and Wildlife, Government of National Capital Territory of Delhi, having license of Light Motor Vehicle in the office in which the vacancy arises subject to passing a skill test to be conducted by Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.
(12)	If a DPC exists, what is its composition	**Group 'C' DPC (for considering promotion)** 1. Pr. Secretary/ Secretary(Labour) – Chairperson 2.Head of the Department Concerned – Member 3. Dy. Secretary(Services) – Member
(13)	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments	Not applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secy. (E&F)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.09 17:46:31 +05'30'